

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Directorate of Research



शोध निदेशालय

पत्रांक: 04

दिनांक: 30.08.2025

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
2. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय: "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2152/सत्तर-3-2025-08 (35)2024-1833464 दिनांक 18 अगस्त 2025 तथा The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) UK के सहयोग से "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 05 प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने का उद्देश्य है। इससे प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को UK में मास्टर डिग्री प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। प्रतिभागियों को UK में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से किसी एक विषय में एक वर्ष के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

अतः आपसे निवेदन है कि इस योजना की जानकारी आपके संस्थान के विद्यार्थियों तक व्यापक रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र एवं इच्छुक छात्र इस अवसर का लाभ उठा सकें।

संलग्न:

1. उत्तर प्रदेश शासन के पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

उप-निदेशक
शोध निदेशालय

प्रतिलिपि:

1. वैयक्तिक सहायक-कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक-प्रति कुलपति को प्रति कुलपति महोदय जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी वेबसाइट इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

VC/S353
20/8/25

All Heads / Coordinators / Directors

Blue
28/8/25

A.R.(APP) / D.S.W.

Registration
Ch. Charan Singh University
Meerut

संख्या-2152 / सत्तर-3-2025-08(35)/2024-1833464

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

Prof. Beernal Singh ji

Prof. Sitendra Singh
M. Circulate

Blue
28/8/25

21/8/25

VICE-CHANCELLOR
उत्तर प्रदेश

- 1- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 5- सुश्री सुप्रिया चावला, हेड चिवनिंग स्कालरशिप, ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली।
- 6- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2025,

विषय:- "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) UK के सहयोग से "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" का संचालन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 05 प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री लेने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। प्रतिभागियों को UK में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में एक वर्ष के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

2- The Foreign Commonwealth and Development office (FCDO) UK सरकार का एक मंत्रीस्तरीय विभाग है। यह विश्व में UK के राजनयिक, विकास और काउंसिलर कार्यों का नेतृत्व करता है। भारत से ब्रिटिश उच्चायोग UK और भारत के बीच संबंधों को बनाए रखता है। चिवनिंग ब्रिटिश काउंसिल की एक प्रशासनिक इकाई है।

3- " चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से आरम्भ होगी, जो 03 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी। शैक्षणिक वर्ष 2026-27, 2027-28 तथा 2028-29 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। भविष्य में छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु शासन द्वारा पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

4- प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" हेतु अधिकतम 05 छात्रों का चयन किया जायेगा तथा UK के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एक वर्ष की मास्टर डिग्री के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

5- आवेदन के समय www.chevening.org पर प्रभावी Chevening Guidance के अनुसार छात्रों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

6- " चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के संचालन की जिम्मेवारी Chevening प्रोग्राम के प्रशासक की होगी।

7- "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत आवेदन एवं चयन प्रक्रिया:-

- (i) छात्रवृत्ति के लिए आवेदन Chevening Online Application system के माध्यम से किया जा जायेगा।
- (ii) आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के बाद Chevening द्वारा पात्र आवेदकों की एक सूची तैयार करेगा, जो पात्रता मानदण्डों के अनुसार होगा।
- (iii) Chevening द्वारा चयनित योग्य आवेदनों में से 05 प्रतिभागियों का चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ और एक अकादमिक विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, को भेजा जायेगा।
- (iv) समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए अनुशंसित आवेदकों की एक लंबी सूची तैयार की जायेगी।
- (v) अनुशंसित आवेदकों की विस्तृत सूची के आवेदनों की समीक्षा FCDO द्वारा की जायेगी।
- (vi) FCDO पोस्ट उन आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार करते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(vii) FCDO पोस्ट Online Application system के माध्यम से शासन के साथ साक्षात्कार के लिए आवेदकों के विवरण साझा करेंगे।

(viii) Chevening चयनित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए सूचित करेगा।

(ix) MoU में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि या तय की जाने वाली तिथि पर साक्षात्कार पैनल में सम्मिलित होंगे। प्रदेश सरकार एक बाहरी साक्षात्कार पैनलिस्ट को नामित कर सकती है। यदि बाहरी साक्षात्कार पैनलिस्ट किन्हीं कारणों से साक्षात्कार पैनल में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य हेतु FCDO Post को अधिकृत कर सकती है।

8- "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित भुगतान किये जायेंगे :-

(i) शैक्षणिक शिक्षण शुल्क के साथ परीक्षा एवं Thesis शुल्क।

(ii) एल्ल छात्र के लिए रहने का खर्च हेतु पर्याप्त मासिक भत्ता

(iii) एक भत्ता बैंक

(iv) निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए एक वापसी विमान किराया (इकनोमी क्लास) ताकि जाने-जाने की यात्रा को Cover किया जा सके।

9- "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत प्रति छात्र लगभग £38,048- £42,076 (38,048-42,076 पाउन्ड) का व्यय आयेगा, जिसमें से राज्य सरकार को प्रति छात्र लगभग £19,800 (19,800 पाउन्ड) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। शेष धनराशि का निर्वहन The Foreign Commonwealth and Development office (FCDO) UK द्वारा किया जायेगा।

10- इस सम्झौता में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के मध्य "चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
(एम0पी00-अग्रवाल)
Date: 18-08-2025
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, आयुष विभाग, खेलकूद विभाग, गृह विभाग, न्याय विभाग, संस्कृति विभाग, पशुधन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कुल सचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. गार्डफाइल।

Digitally signed by
GIRIJESH KUMAR TYAGI
Date: 18-08-2025
16:44:36

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।